आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.20(101) /आकाशि/ 2020-21/ AISHE/ 1837 दिनांक 10.12.2020

समस्त प्राचार्य
राजकीय/ निजी / बीएड महाविद्यालय
राजस्थान

विषय : **महाविद्यालय के लिए AISHE पोर्टल पर नाम दर्ज़ करवाकर AISHE कोड प्राप्त करने बाबत |**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए All India Survey on Higher Education नवीन सत्र के लिए शीघ्र ही शुरू होने वाला है| इस ऑनलाइन सर्वे के लिए सर्वप्रथम AISHE पोर्टल पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवा कर AISHE कोड प्राप्त करना आवश्यक है | यह AISHE कोड राज्य एवं भारत सरकार के छात्रवृति पोर्टल पर नाम जोड़े जाने के लिए अति आवश्यक है | यदि AISHE कोड की वजह से कोई विद्यार्थी छात्रवृति से वंचित रह जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी | अगर महाविद्यालय को AISHE कोड पहले से ही मिला हुआ है उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने की आवश्यकता नहीं है |

ऐसे महाविद्यालय जिनके नाम AISHE पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है वे अविलंभ अपने महाविद्यालय का नाम AISHE Portal (http://aishe.nic.in) के मुख्यपृष्ठ पर अंकित "Request For Adding Institute" लिंक (http://aishe.nic.in/aishe/addInstitutePage) पर क्लिक कर अपने महाविद्यालय व महाविद्यालय के नोडल ऑफिसर से सम्बंधित जानकारी भरें तथा Proof of Existence के लिए महाविद्यालय की राज्य सरकार की Latest NOC व विश्वविद्यालय का Latest Affiliation लैटर एक ही pdf फाइल में बनाकर अपलोड करें I इसके पश्चात राज्य नोडल अधिकारी (SNO) व विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी (UNO) से Approval के बाद AISHE, MHRD. नई दिल्ली द्वारा नाम जोड़ा जावेगा |

समस्त निजी महाविद्यालयों की राज्य सरकार की NOC नीति अनुसार DCF-II अपलोड करना अनिवार्य किया जा चुका है | इससे पूर्व महाविद्यालय का नाम AISHE Portal पर दर्ज किया जाना आवश्यक है | इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी व गाइडलाइन्स AISHE पोर्टल http://aishe.nic.in/aishe/surveyguideline पर उपलब्ध हैं I इसी क्रम में अन्य जानकारी एवं सहायता हेतु 0141-2706106 पर डॉ. संदीप कुमार/श्री बनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है|

10/12
(सन्देश नायक, IAS)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि :

1. डॉ. अर्चना शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर, MHRD, नई दिल्ली I
2. संयुक्त सचिव (ग्रुप-4) को भेजकर लेख है की वे नए विश्वविद्यालयों को अपना नाम AISHE पोर्टल पर दर्ज करवाने हेतु निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें |
3. संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं) पृथक से निजी महाविद्यालयों को अपना नाम AISHE पोर्टल पर दर्ज करवाने हेतु निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें |
4. समस्त रजिस्ट्रार, सम्बद्धक महाविद्यालयों को भेज कर लेख है की वे अपने विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी AISHE (UNO) को ऑनलाइन Requests को निरंतर Approval की कार्यवाही करते रहने हेतु निर्देशित करें |
5. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज कर लेख है कि वे अपने क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों/निजी महाविद्यालयों को जागरूक करें व उनका नाम AISHE पोर्टल पर दर्ज करवाने हेतु निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें |
6. समस्त नोडल महाविद्यालय सत्र 2020-21 में खोले गए नवीन राजकीय महाविद्यालयों को AISHE पोर्टल पर नाम दर्ज़ करवाने हेत आवश्यक request अपलोड करवाना सुनिश्चित करें |
7. समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को भेज कर लेख है कि वे निजी व बीएड महाविद्यालयों से संपर्क कर उनका नाम AISHE पोर्टल पर दर्ज करवाने हेतु निर्देशित करवाना सुनिश्चित करें |
8. समस्त OIC, राजकीय महाविद्यालय समूह, आकाशि को भेज कर लेख है कि वे अपने राजकीय महाविद्यालयों को आदेशानुसार AISHE के DCF-II को निर्धारित तिथि तक अपलोड करने हेतु सूचित करें I
9. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु |

आयुक्त कॉलेज शिक्षा